<u>न्यायालयः– अमनदीप सिंह छाबड्रा,</u> न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

3.715	<u>स्थित । दमाक ७४.७१.२७१५</u>
<u> </u>	इलिंग नं.234503000352015
मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी,	2
जिला बालाघाट (म.प्र.)	-
/ / विरूद्ध / /	
छबी उइके पिता मेहताब उईके, उम्र 26 साल,	
साकिन नुनकाटोला थाना गढ़ी, जिला–बालाघाट (म.प्र.)
	— — — — <u>आरोपी</u>
र्क्यो / / निर्णय / /	
// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक 13/03/2018 क	ो घोषित)

- आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—354, 294 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 05.01.2015 को दोपहर समय 02:00 बजे थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम नुनकाटोला गांव के पास कुएं पर गढ़ी में प्रार्थियाँ रेवतीबाई की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसका सीधा हाथ पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा प्रार्थियाँ को अश्लील गालियाँ देकर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया।
- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि प्रार्थियाँ 2-रेवंतीबाई उइके ग्राम नुनकाटोला की गांव में ही दिनांक 05.01.2015 को सरकारी कुआं पर रनान करने गई थी कि करीब 2:00 बजे दिन में आरोपी छबी उईके ने प्रार्थियाँ की लज्जा भंग करने की नियत से आपराधिक बल का प्रयोग कर हाथ पकड़कर खींचतान किया, तब प्रार्थियाँ हाथ छुड़ाकर अपने बड़े पिता भगवनसिंह के घर अन्दर जाकर दरवाजा बन्द कर दी, तब आरोपी भी उसके पीछे-पीछे भगवनसिंह कुसरे के घर गया और दरवाजा को लात मारकर अश्लील गालियाँ दे रहा था। उक्त रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में

लिया गया। विवेचना दौरान प्रकरण में धारा—354 का ईजाफा किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने से चालान क्रमांक 02/2015 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—354, 294 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत रेवंतीबाई ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—354 भा.द.वि. के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1.क्या आरोपी ने दिनांक 05.01.2015 को दोपहर समय 02:00 बजे थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम कुनकाटोला गांव के पास कुएं पर गढ़ी में प्रार्थियाँ रेवतीबाई की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसका सीधा हाथ पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :--

5— परिवादी रेवंतीबाई (अ.सा.1) ने कहा है कि वह आरोपी को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब तीन वर्ष पूर्व उनके गांव में दिन के समय कुएं के पास की है। घटना के समय आरोपी से कुएं के पानी को लेकर उसका मौखिक विवाद हुआ था, जिसके बाद वह दोनों अपने—अपने घर चले गये। फिर लोगों के कहने पर उसने थाना गढ़ी में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 दर्ज कराई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस को उसने झगड़े वाली जगह बताई थी और पुलिस ने उसके बताये अनुसार मौका—नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पुलिस ने पुछताछ कर उसके बयान लिये थे।

- 6— परिवादी रेवंतीबाई (अ.सा.1) से अभियोजन द्वारा सूचक प्रष्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 05.01.2015 को दिन के करीब 2:00 बजे कुए में नहाने के दौरान आरोपी ने बुरी नियत से उसके हाथ को पकड़ लिया, जिस पर वह हाथ झटककर चिल्लाते हुऐ अपनी बड़ी माँ भागरती के घर में घुस गई। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि तभी आरोपी वहां आया और गालियां देते हुए दरवाजे को लात मारने लगा और उसके मना करने पर भी गालियां देते रहा, फिर उसने पित सुखलाल तथा पिता सुखराम को घटना की बात बताई और उनके साथ थाना रिपोर्ट करने गई। साक्षी ने प्र.पी.03 का कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिए न्यायालय में असत्य कथन कर रही है।
- 7— परिवादी रेवंतीबाई (अ.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका केवल मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी, उसका आरोपी के साथ समझौता हो गया है और वह आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।
- 8— साक्षी सुखलाल(अ.सा.2) ने कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब तीन वर्ष पूर्व उनके गांव में दिन के समय कुए के पास की है। घटना के समय आरोपी से कुए के पानी को लेकर उसकी पत्नि का मौखिक विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों अपने—अपने घर चले गये। फिर लोगों के कहने पर उसने अपनी पत्नि के साथ थाना गढ़ी में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 दर्ज कराया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

- 9— साक्षी सुखलाल(अ.सा.2) से अभियोजन द्वारा सूचक प्रष्न पूछे जाने पर साक्षी इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 05.01.2015 को दिन के करीब 2:00 बजे कुएं में नहाने के दौरान आरोपी ने बुरी नियत से उसकी पत्नि के हाथ को पकड़ लिया, जिस पर वह चिल्लाते हुऐ अपनी बड़ी मॉ भागरती के घर में घुस गई, तभी आरोपी वहां आया और गालियां देते हुए दरवाजे को लात मारने लगा और उसके मना करने पर भी गालियां देते रहा, फिर उसने भगवानसिंह को दरवाजा खोलने को बोला जिस पर उसकी पत्नि बाहर निकली और उसके साथ घर गई, जिसके पश्चात उन लोगों ने अपने ससुर के साथ थाना जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। साक्षी ने प्र.पी.04 का कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिए न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।
- 10— साक्षी सुखलाल(अ.सा.2) ने अपनेप्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसकी पत्नि का केवल मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी, उनका आरोपी के साथ समझौता हो गया है और वह लोग उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते है।
- 11— फरियादी रेवंतीबाई अ.सा.01 एवं साक्षी सुखलाल अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वर्तमान में उनका आरोपी से राजीनामा हो गया है और वह आरोपी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। फरियादी रेवंतीबाई अ.सा.01 घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। प्रकरण में आरोपित अपराध के संबंध में अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरूद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह

प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी रेवंतीबाई की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसका सीधा हाथ पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतः आरोपी छबी उईके को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—354 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 12- आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 13— अभियुक्त विचारण या विवेचना के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 06.01.2015 से 07.01.2015 तक रहा है, इस संबंध में धारा—428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।
- 14- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

सही / –

(अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट सही / –

(अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

